SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

लेखे एक दृष्टि में
2023-24

मध्यप्रदेश सरकार

लेखे एक दृष्टि में

2023—2024

मध्यप्रदेश सरकार

आमुख

यह हमारे वार्षिक प्रकाशन **''लेखे एक दृष्टि में''** का छब्बीसवाँ अंक है।

राज्य शासन के वार्षिक लेखे नियंत्रक महालेखापरीक्षक के निर्देशन में, राज्य के विधानमंडल मे रखे जाने के लिये, नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्यों, शक्तियों एवं सेवा शर्ते) अधिनियम, 1971 आवश्यकतानुसार तैयार कर जांच किये जाते है। वार्षिक लेखाओं में (अ) वित्त लेखे एवं (ब) विनियोग लेखे समाहित होते हैं। वित्त लेखे समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा के अंतर्गत लेखे के संक्षिप्त विवरण होते हैं। विनियोग लेखे राज्य विधानमंडल द्वारा अनुमोदित प्रावधानों के विरूद्ध मांगवार व्यय तथा प्रदत्त निधि एवं वास्तविक व्यय के मध्य अंतरों के लिए स्पष्टीकरण प्रस्तावों को इंगित करता है। महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) राज्य वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे तैयार करता है।

''लेखे एक दृष्टि में'' वित्त एवं विनियोग लेखे में प्रतिबिम्बित शासकीय क्रियाकलापों का एक विस्तृत विहंगावलोकन है। इसमें सूचना को संक्षिप्त व्याख्याओं, विवरणों तथा ग्राफ्स के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। यह आंकड़े मध्यप्रदेश सरकार के वित्त एवं विनियेाग लेखे से लिए गए हैं। अंतर की स्थिति में वित्त एवं विनियोग लेखे में दर्शाए गए आंकड़ों को सही समझा जावे।

इस प्रकाशन को अत्यधिक उपयोगी बनाने के लिये सुझाव आमंत्रित है।

स्थान : ग्वालियर

दिनांक : 06 दिसंबर 2024

(सिद्धार्थ बोंदाडे)
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम
मध्यप्रदेश

हमारी दृष्टि, लक्ष्य एवं आधारभूत मूल्य

*हमारी **दृष्टि** हमारी भावी अभिलाषा को दर्शाती है।*

हम लोक संसाधनों पर स्वतंत्र और विश्वसनीय आश्वासन देते रहें और सार्वजनिक क्षेत्र लेखापरीक्षण में सर्वाभौम लीडर बने।

*हमारा **लक्ष्य** हमारी वर्तमान भूमिका के बारे में जानकारी देता है और यह बताता है कि हम वर्तमान मे क्या कर रहे हैं।*

भारत के संविधान द्वारा अधिदेशित, हम उच्च गुणवत्ता के लेखापरीक्षण और लेखाकरण के माध्यम से जवाबदेही, पारदर्शिता और सुशासन को बढ़ावा देते हैं और अपने विधानमंडल, आम जनता और कार्यपालिका को इस संबंध में स्वतंत्र और समयोचित आश्वासन देते हैं कि सार्वजनिक धन का प्रभावपूर्ण तरीके और कुशलता से संग्रहण एवं उपयोग किया जा रहा हैं।

*हमारे **आधारभूत मूल्य** वह मौलिक विश्वास हैं जो हमारी संस्था तथा हमारे लोगों का मार्गदर्शन करते है।*

संस्थागत मूल्यः व्यावसायिक मानकों, निष्पक्ष एवं संतुलित दृष्टिकोण, स्वंतत्रता तथा पारदर्शिता को बनाए रखना।

जन मूल्यः नैतिक व्यवहार, सत्यनिष्ठा, व्यावसायिक सक्षमता, निष्पक्षता तथा सामाजिक जागरुकता।

विषय सूची

अध्याय 1	विहंगावलोकन	पृष्ठ
1.1	प्रस्तावना	1
1.2	लेखे का स्वरूप	1
1.3	वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे	2
1.4	निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग	7
1.5	राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफ.आर.बी.एम.) अधिनियम 2005	10
अध्याय 2	**प्राप्तियां**	
2.1	प्रस्तावना	12
2.2	राजस्व प्राप्तियां	12
2.3	कर राजस्व	14
2.4	कर संग्रहण की दक्षता	16
2.5	विगत पांच वर्षों में संघीय करों में राज्यांश की प्रवृत्ति	17
2.6	सहायता अनुदान	17
2.7	लोक ऋण	18
अध्याय 3	**व्यय**	
3.1	प्रस्तावना	21
3.2	राजस्व व्यय	21
3.3	पूंजीगत व्यय	23
3.4	प्रतिबद्ध व्यय	24

अध्याय 4 विनियोग लेखे

4.1	विनियोग लेखे का सार	26
4.2	विगत पांच वर्षों के दौरान बचत/आधिक्य की प्रवृत्ति	26
4.3	महत्वपूर्ण बचतें	27

अध्याय 5 परिसम्पत्तियां एवं दायित्व

5.1	परिसम्पत्तियां	29
5.2	ऋण तथा दायित्व	29
5.3	प्रत्याभूतियां	31

अध्याय 6 अन्य मदें

6.1	राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम	32
6.2	स्थानीय निकायों एवं अन्य को वित्तीय सहायता	32
6.3	रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष निवेश	33
6.4	लेखों का पुनर्मिलान	33
6.5	राज्य शासन द्वारा स्वीकृत सहायता अनुदान के विरुद्ध बकाया उपयोगिता प्रमाण–पत्र	33
6.6	बकाया उचंत शेषों का संचय	34

अध्याय – 1

विहंगावलोकन

1.1 प्रस्तावना

मध्यप्रदेश सरकार की प्राप्तियों एवं व्यय के लेखाओं के संकलन का कार्य महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–प्रथम, मध्यप्रदेश द्वारा किया जाता है। यह संकलन जिला कोषालयों, लोक निर्माण संभागों, जल संसाधन संभागों, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण संभागों, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभागों, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी संभागों, वेतन एवं लेखा कार्यालयों के द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक लेखे तथा भारतीय रिजर्व बैंक की सलाहों के आधार पर संकलित किये गए है। ऐसे संकलन के पश्चात, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, प्रतिवर्ष वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे तैयार करता है, जिन्हें महालेखाकार (लेखापरीक्षा–II) मध्यप्रदेश द्वारा लेखा परीक्षा एवं भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रमाणीकरण के पश्चात राज्य विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

1.2 लेखे का स्वरूप

1.2.1 शासकीय लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं :

भाग 1 समेकित निधि	राजस्व एवं पूंजीगत लेखाओं पर प्राप्तियां एवं व्यय, लोक ऋण एवं ऋण तथा अग्रिम। अन्तर्राज्यीय समाशोधन, आकस्मिकता निधि को विनियोग।
भाग 2 आकस्मिकता निधि	अनवेक्षित व्यय की पूर्ति हेतु जो कि बजट में प्रदान न किया गया हो। इस निधि से किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति बाद में समेकित निधि से की जाती है।
भाग 3 लोक लेखा	अन्य समस्त लोक धन जो सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त किया जाता है, जहाँ सरकार बैंक अथवा न्यासी की तरह कार्य करती हो, लोक लेखा में जमा किया जाता है। लोक लेखा में, वापसी योग्य जैसे – अल्प बचतें एवं भविष्य निधियाँ, जमा, अग्रिम, आरक्षित निधियाँ, प्रेषण एवं उचंत शीर्ष शामिल होते हैं। लोक लेखे में सरकार के पास उपलब्ध निवल रोकड़ शेष भी शामिल रहता है।

1.2.2 लेखों का संकलन

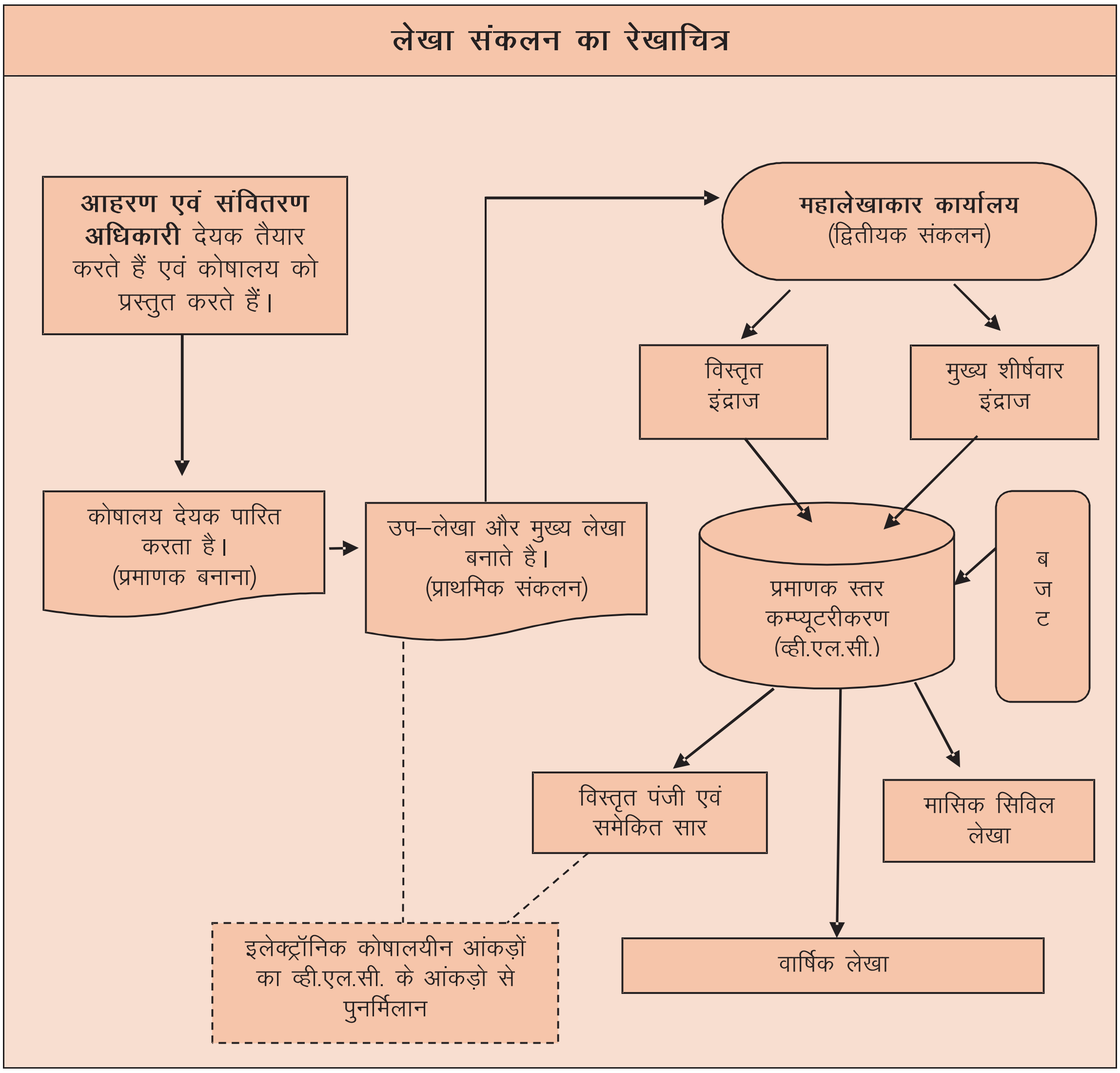

1.3 वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे

1.3.1 वित्त लेखे

वित्त लेखे सरकार की वर्ष की प्राप्तियों और संवितरणों के साथ राजस्व एवं पूंजीगत लेखाओं के वित्तीय परिणामों, लोक ऋण एवं लोक लेखे में दर्ज शेषों के लेखाओं का चित्रण करते हैं। वित्त लेखाओं को अधिक विस्तृत एवं सूचनात्मक बनाने की दृष्टि से वर्ष 2009–10 से इन्हें दो खण्डों में जारी किया जा रहा है। खण्ड–I में भारत के नियंत्रक– महालेखापरीक्षक के प्रमाण–पत्र सहित समस्त प्राप्तियों एवं संवितरणों के संक्षिप्त विवरण पत्रक एवं लेखांकन नीतियों के महत्वपूर्ण सार, लेखाओं की गुणवत्ता एवं अन्य मदें को समाविष्ट करते हुए 'वित्त लेखों पर टिप्पणी', समाहित हैं। खण्ड–II में विस्तृत विवरण (भाग–I) एवं परिशिष्ट (भाग–II) शामिल हैं।

मध्यप्रदेश सरकार के वर्ष 2023–24 के वित्त लेखे में दर्शाई गई प्राप्तियों एवं संवितरणों को नीचे दर्शाया गया हैं :–

(₹ करोड़ में)

<table>
<tr><td rowspan="8">प्राप्तियां
कुल :
(2,78,886)</td><td rowspan="5">राजस्व
कुल :
(2,34,026)</td><td>कर राजस्व</td><td>1,79,389</td></tr>
<tr><td>(क) स्वयं का कर राजस्व</td><td>90,724</td></tr>
<tr><td>(ख) करों की शुद्ध आय का हिस्सा</td><td>88,665</td></tr>
<tr><td>करेतर राजस्व</td><td>19,926</td></tr>
<tr><td>सहायता अनुदान</td><td>34,711</td></tr>
<tr><td rowspan="3">पूंजीगत
कुल :
(44,860)</td><td>ऋण तथा अग्रिमों की वसूलियां</td><td>372</td></tr>
<tr><td>उधार और अन्य दायित्व[1]</td><td>44,484</td></tr>
<tr><td>अन्य प्राप्तियां[2]</td><td>4</td></tr>
<tr><td rowspan="5">संवितरण
कुल :
(2,78,886)</td><td colspan="2">राजस्व</td><td>2,21,538</td></tr>
<tr><td colspan="2">पूंजीगत</td><td>56,539</td></tr>
<tr><td colspan="2">ऋण तथा अग्रिम</td><td>809</td></tr>
<tr><td colspan="2">अन्तर्राज्यीय परिशोधन</td><td>–</td></tr>
<tr><td colspan="2">आकस्मिकता निधि को अंतरण</td><td>–</td></tr>
</table>

1 उधार और अन्य दायित्वः लोक ऋण की निवल राशि (प्राप्तियां–संवितरण) (₹ 43,544 करोड़) + आकस्मिकता निधि की निवल राशि (₹ 4 करोड़) + लोक लेखे की निवल राशि (प्राप्तियां–संवितरण) (₹ 5,397 करोड़) + रोकड़ शेष का प्रारंभिक एवं अंतिम शेष की निवल राशि (₹ (–) 4,461 करोड़)

2 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/सहकारी संस्थाओं/बैंकों द्वारा अंशपूंजी में निवेश की वापसी से संबंधित पूंजीगत प्राप्तियां (4 करोड़) तथा अंतर्राज्यीय परिशोधन (निरंक करोड़) सम्मिलित हैं।

वर्ष 2023–24 के लिए प्राप्ति एवं संवितरण

(₹ करोड़ में)

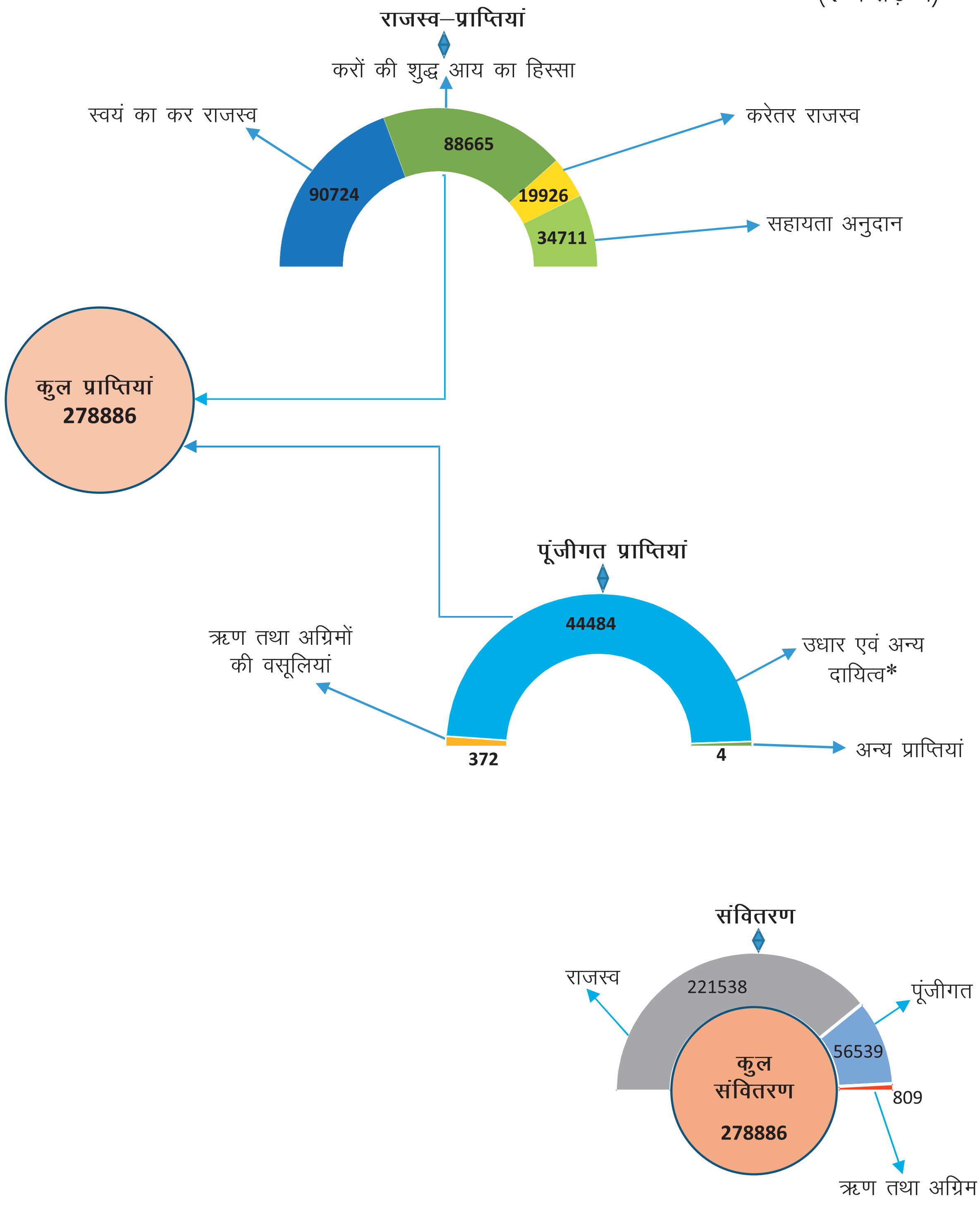

* उधार एवं अन्य देनदारियां : शुद्ध (प्राप्ति–संवितण) लोक ऋण + शुद्ध आकस्मिक निधि + शुद्ध (प्राप्ति–संवितरण) लोक लेखे + शुद्ध प्रारम्भिक एवं अंतिम नगद शेष।

संघ सरकार, राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों/अशासकीय संगठनों को विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु सीधे प्रचुर निधियां स्थानान्तरित करती हैं। वर्ष 2023–24 के दौरान भारत सरकार ने सीधे ₹ 25,570 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 16,249 करोड़) विमुक्त किये हैं। चूंकि ये निधियां राज्य के बजट के माध्यम से नहीं दी गई हैं अतः ये राज्य सरकार के लेखाओं में प्रतिबिम्बित नहीं होती। ये स्थानांतरण वर्तमान वित्त लेखे के खण्ड–II के परिशिष्ट–VI में प्रदर्शित हो रही हैं।

निम्न तालिका वर्ष 2023–24 के लिए पुनरीक्षित अनुमान के साथ–साथ वास्तविक वित्तीय परिणामों का विवरण प्रदर्शित करती है :–

(₹ करोड़ में)

	मदें	पुनरीक्षित अनुमान 2023–24	वास्तविक राशि	पुनरीक्षित अनुमान से वास्तविक राशि की प्रतिशतता	सकल राज्य घरेलू उत्पाद से वास्तविक राशि की प्रतिशतता[3]
1.	कर राजस्व	1,74,248[4]	1,79,389[4]	103	13
2.	करेतर राजस्व	17,301	19,926	115	1
3.	सहायता अनुदान तथा अंशदान	40,184	34,711	86	3
4.	राजस्व प्राप्तियां (1+2+3)	2,31,733	2,34,026	101	17
5.	ऋण तथा अग्रिमों की वसूलियां	13,500	372	3	--
6.	अन्य प्राप्तियां[5]	--	4	--	--
7.	उधार तथा अन्य दायित्व[6]	55,682	44,484	80	3
8.	पूंजीगत प्राप्तियां (5+6+7)	69,182	44,860	65	3
9.	कुल प्राप्तियां (4+8)	3,00,915	2,78,886	93	20
10.	राजस्व व्यय	2,31,112	2,21,538	96	16
11.	ब्याज भुगतान पर व्यय (मद क्र.10 के अन्तर्गत)	23,994	23,098	96	2
12.	पूंजीगत व्यय	67,178	56,539	84	4
13.	संवितरित ऋण तथा अग्रिम	1,393	809	58	--
14.	अन्तर्राज्यीय परिशोधन	--	--	--	--
15.	आकस्मिकता निधि को अंतरण	--	--	--	--
16.	कुल व्यय (10+12+13+14+15)	2,99,683	2,78,886	93	20
17.	राजस्व घाटा (–)/आधिक्य (+) (4–10)	621	12,488	2011	1
18.	राजकोषीय घाटा (4+5+6–10–12–13–14)	(-) 54,450	(-) 44,484	82	(-) 3

3 योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग म.प्र.शासन द्वारा प्रकाशित आर्थिक सर्वेक्षण से सकल राज्य घरेलू उत्पाद राशि ₹ 13,63,327 करोड़ ली गई है।

4 संघ करों का अंश ₹ 86,703 करोड़ पुनरीक्षित अनुमान एवं ₹ 86,665 करोड़ का वास्तविक सम्मिलित है।

5 पृष्ठ क्रमांक 3 पर पाद टिप्पणी 2 देखें।

6 पृष्ठ क्रमांक 3 पर पाद टिप्पणी 1 देखें।

1.3.2 घाटा और आधिक्य क्या संकेत करते हैं

घाटा	प्राप्तियों एवं व्यय के अंतर को निर्दिष्ट करता है। घाटे का प्रकार, घाटा कैसे वित्त व्यवस्थित किया जाता है और निधियों का अनुप्रयोग वित्तीय प्रबंधन में दूरदर्शिता के मुख्य सूचक हैं।
राजस्व घाटा/आधिक्य	राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के अंतर को निर्दिष्ट करता है। राजस्व व्यय शासन की विद्यमान स्थापना के संधारण के लिए अपेक्षित हैं तथा यह आदर्श रूप से पूर्णतः राजस्व प्राप्तियों से पूरा होना चाहिए।
राजकोषीय घाटा/आधिक्य	कुल प्राप्तियों (उधारों को पृथक कर) तथा कुल व्यय के अंतर को निर्दिष्ट करता है। अतः यह अंतर दर्शाता है कि उधारों द्वारा किस सीमा तक व्यय को वित्त व्यवस्थित किया गया है। आदर्श रूप से उधारों को पूंजीगत परियोजनाओं में निवेश किया जाना चाहिए।

1.3.3 विनियोग लेखे

विनियोग लेखे वित्त लेखे के पूरक हैं। वे राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित "दत्तमत" या संचित निधि पर "प्रभारित" राशियों के विरुद्ध राज्य सरकार के व्यय को प्रदर्शित करते हैं। 2 प्रभारित विनियोग एवं 57 दत्तमत अनुदान हैं। 57 दत्तमत अनुदानों में से 52 अनुदानों में भी प्रभारित व्यय के लिए बजट प्रावधान है।

विनियोग अधिनियम 2023–24 में ₹ 3,72,009 करोड़ के सकल व्यय एवं ₹ 7,920 करोड़ व्यय में कमी (वसूलियां) का प्रावधान प्रदान किया था। इसके विरुद्ध वास्तविक सकल व्यय ₹ 3,04,083 करोड़ एवं व्यय में कमी (वसूलियां) ₹ 3,561 करोड़ रही, परिणामतः ₹ 67,926 करोड़ (18.25 *प्रतिशत*) की बचत एवं ₹ 4,359 करोड़ (55.03 *प्रतिशत*) 'व्यय में कमी' का अधिक प्राक्कलन रहा।

वर्ष 2023–24 के दौरान ₹ 2,098 करोड़ समेकित निधि से लोक लेखे के अंतर्गत व्यक्तिगत जमा (पी.डी.) खातों में अंतरित किए गए, जो निर्दिष्ट प्रशासकों द्वारा विशिष्ट प्रयोजनों के लिए संधारित किए जाते हैं। सामान्यतः वित्तीय वर्ष के अंत में व्यक्तिगत जमा खातों के अन्तर्गत अव्ययित रही राशि शासन को वापिस स्थानान्तरित की जानी होती है। हालांकि, इस प्रकार के स्थानान्तरणों का विस्तृत विवरण, यदि कोई हो, एवं व्यक्तिगत जमा खातों में लंबित शेष केवल कोषालयों में उपलब्ध है, क्योंकि वे इस प्रकार के अभिलेख संधारित करने हेतु जिम्मेदार हैं।

1.4 निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग

1.4.1 अर्थोपाय अग्रिम

भारतीय रिजर्व बैंक राज्य सरकार को अर्थोपाय अग्रिम की सुविधा का विस्तार कर उसकी तरलता बनाये रखने में समर्थ बनाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के साथ सहमति के अनुसार न्यूनतम शेष राशि (₹ 1.96 करोड़) में कमी होने पर अधिविकर्षण की सुविधा दी जाती है। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2023–24 के दौरान अर्थोपाय अग्रिम एवं अधिविकर्षण सुविधाओं का सहारा नहीं लिया गया।

1.4.2 निधियों के प्रवाह का विवरण

राज्य के पास ₹ 12,488 करोड़ का राजस्व अधिशेष एवं ₹ 44,484 करोड़ का राजकोषीय घाटा था जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.)[7] का क्रमशः 0.92 *प्रतिशत* एवं 3.26 *प्रतिशत* रहा। राजकोषीय घाटा कुल व्यय का 15.95 *प्रतिशत* रहा। यह घाटा लोक ऋण (₹ 43,544 करोड़) एवं लोक लेखे (₹ 5,397 करोड़) से पूरा किया गया। रोकड़ शेष में ₹ 4,461 करोड़ की वृद्धि हुई। राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों (₹ 2,34,026 करोड़) का लगभग 49 *प्रतिशत* प्रतिबद्ध व्यय जैसे मजदूरी सहित वेतन (₹ 50,249 करोड़), ब्याज भुगतान (₹ 23,098 करोड़), पेंशन (₹ 21,966 करोड़) एवं राज सहायता (₹ 20,377 करोड़) पर व्यय किया गया।

---

7 जहाँ अन्यथा दर्शाया गया है, के सिवाय, इस प्रकाशन में उपयोग में लाये गये सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अंक म.प्र. शासन के योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के आर्थिक सर्वेक्षण से लिये गये हैं।

निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग

(₹ करोड़ में)

	विवरण	राशि
स्रोत	01 अप्रैल 2023 को प्रारंभिक नगद शेष	(-) 4,970
	राजस्व प्राप्तियां	2,34,026
	पूंजीगत प्राप्तियां	4
	ऋणों तथा अग्रिमों की वसूलियां	372
	लोक ऋण	65,180
	अल्प बचतें, भविष्य निधियां तथा अन्य	3,952
	आरक्षित एवं निक्षेप निधि	9,555
	जमा प्राप्ति	46,053
	चुकता सिविल अग्रिम	--
	उचन्त लेखा	5,89,746
	प्रेषण	28,211
	आकस्मिकता निधि से प्रतिपूर्ति	19
	अन्तर्राज्यीय परिशोधन	--
	योग	**9,72,148**

अनुप्रयोग	राजस्व व्यय	2,21,538
	पूंजीगत व्यय	56,539
	संवितरित ऋण	809
	लोक ऋण का पुनर्भुगतान	21,636
	अल्प बचतें, भविष्य निधियां तथा अन्य	4,996
	आरक्षित एवं निक्षेप निधि	5,953
	जमा व्यय	47,220
	दिए गए सिविल अग्रिम	--
	उचन्त लेखा	5,86,263
	प्रेषण	27,687
	31 मार्च 2024 को अंतिम नगद शेष	(-) 508
	आकस्मिकता निधि से व्यय जिसकी प्रतिपूर्ति नहीं हुई	15
	अन्तर्राज्यीय परिशोधन	--
	योग	**9,72,148**

1.4.3 रुपया कहां से आया

(₹ करोड़ में)

वास्तविक प्राप्तियां

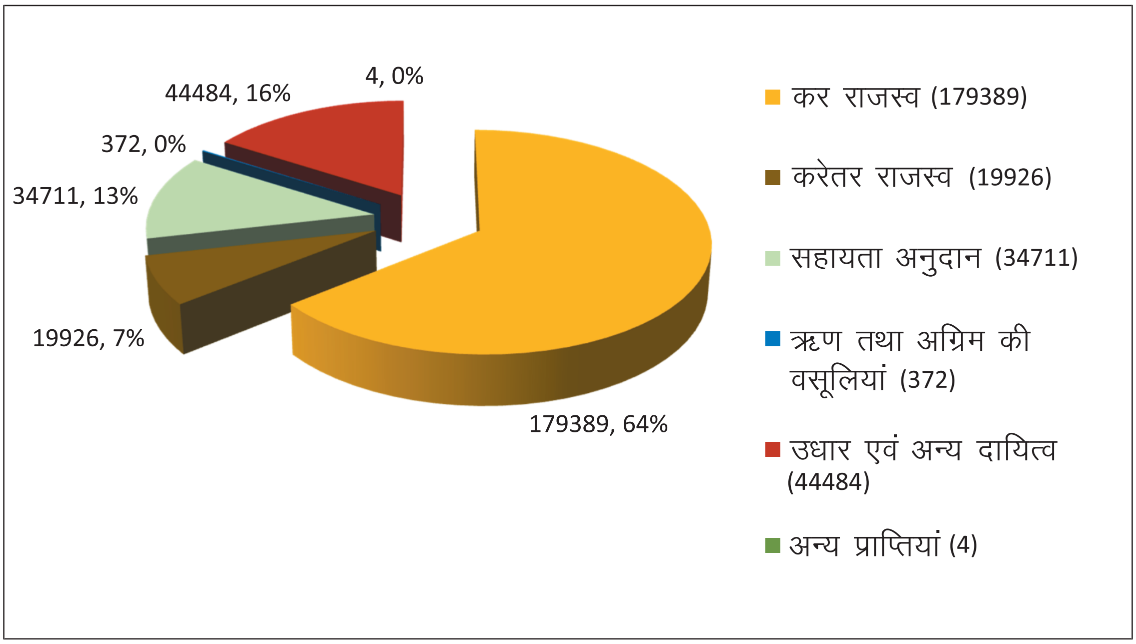

टीप : शून्य मान वर्ष के दौरान नगण्य प्राप्तियों को दर्शाता है।

1.4.4 रुपया कहां गया

(₹ करोड़ में)

वास्तविक व्यय

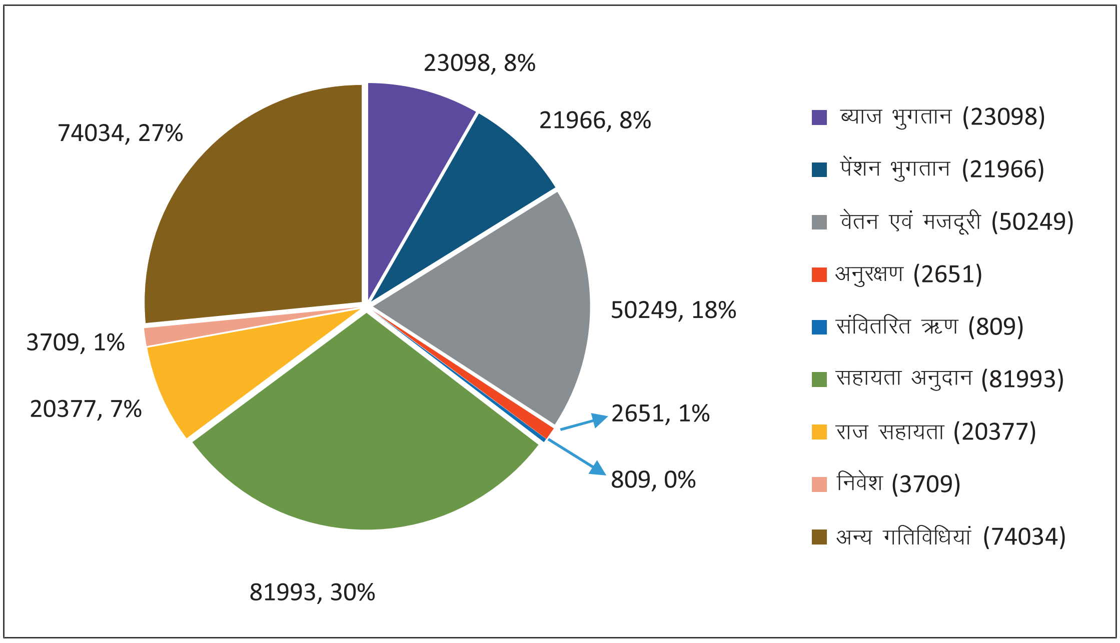

टीप : शून्य मान वर्ष के दौरान नगण्य व्यय को दर्शाता है।

1.5 राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफ.आर.बी.एम.) अधिनियम, 2005

राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के अनुच्छेद 5 के अंतर्गत अपेक्षित है कि, राज्य सरकार, वार्षिक बजट पेश करते समय तीन विवरणों में प्रकटीकरण करें, अर्थात् (क) वृहद् आर्थिक रूपरेखा विवरण (ख) मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण तथा (ग) राजकोषीय नीति युक्ति विवरण। वर्ष 2023–24 के बजट में इन विवरणों में राज्य सरकार द्वारा सभी प्रकटीकरण किया गया है।

चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर 15 जनवरी 2016, 23 मार्च 2017 एवं 30 मार्च 2017 में, राज्य सरकार द्वारा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005, में संशोधन किया गया। अधिनियम में उल्लेखित लक्ष्य एवं वर्ष 2023–24 में उपलब्धि जैसा कि लेखों में प्रदर्शित है, नीचे दर्शाया गया है :–

एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के अनुरूप राजकोषीय लक्ष्य तथा उपलब्धियां

क्षेत्र	लक्ष्य	उपलब्धियां (2023–24)
राजस्व अधिशेष/घाटा	राजस्व घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 0.03 प्रतिशत से अधिक नहीं।	लेखाओं के अनुसार, राजस्व अधिशेष ₹ 12,488 करोड़ है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद (*) का 0.92 प्रतिशत है।
राजकोषीय घाटा	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 4.02 प्रतिशत से अधिक नहीं	लेखाओं के अनुसार राजकोषीय घाटा ₹ 44,484 करोड़ है जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.26 प्रतिशत है।
बकाया ऋण	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 30.42 प्रतिशत से अधिक नहीं	वर्ष 2023–24 में ₹ 3,97,335 करोड़ बकाया ऋण था जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 29.14 प्रतिशत है।

टीप :– इसमें राशि ₹ 11,553 करोड़ सम्मिलित नहीं है, जो जी.एस.टी. मुआवजे के बदले केन्द्र सरकार से बैक–टू–बैक ऋण के रूप में पारित किया गया था (राशि ₹ 4,542 करोड़ 2020–21 के दौरान तथा राशि ₹ 7,011 करोड़ 2021–22 के दौरान) जिसे व्यय विभाग, भारत सरकार के निर्णय के अनुसार वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किसी भी मापदंड के लिये राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जाएगा।

(*) स्रोत–योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, म.प्र.शासन के अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2023–24 के लिये सकल राज्य घरेलू उत्पाद ₹ 13,63,327 करोड़ लिया गया है।

1.5.1 राजस्व आधिक्य/घाटा की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

राजस्व आधिक्य/घाटा

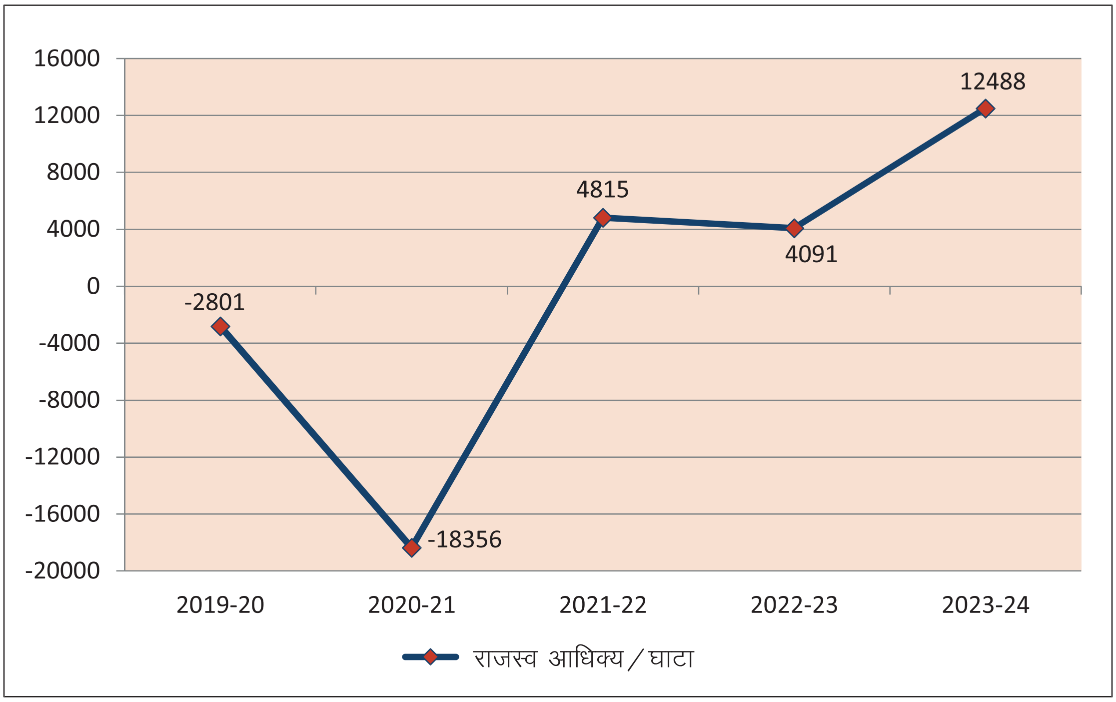

1.5.2 राजकोषीय घाटे की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

राजकोषीय घाटा

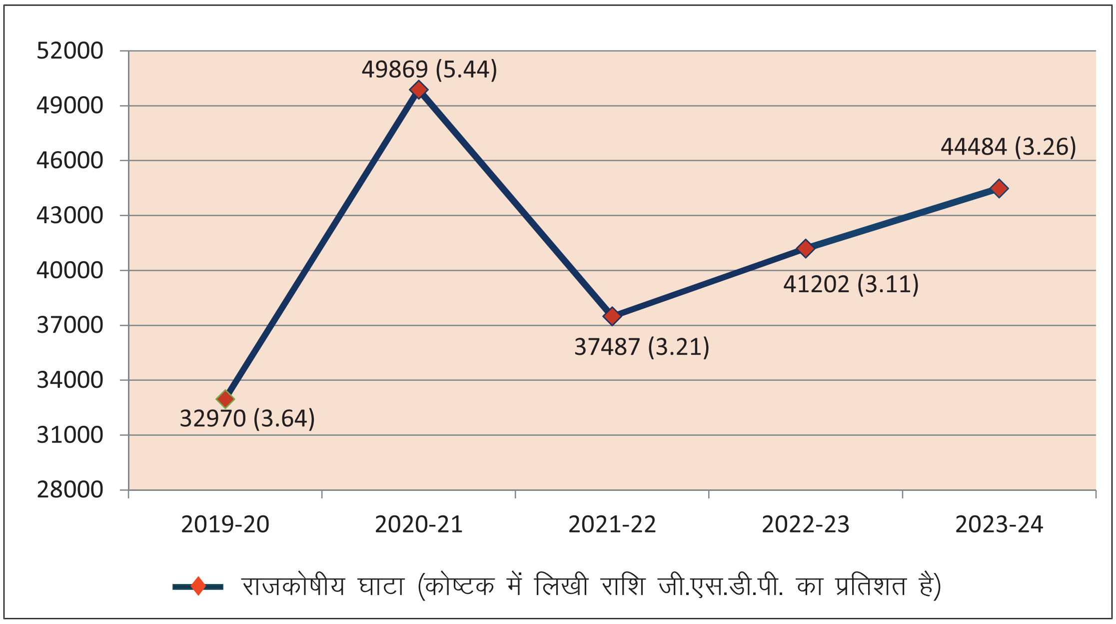

अध्याय – 2

प्राप्तियां

2.1 प्रस्तावना

शासन की प्राप्तियों को राजस्व प्राप्तियों और पूंजीगत प्राप्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वर्ष 2023–24 में कुल प्राप्तियां ₹ 2,78,886 करोड़ थी।

2.2 राजस्व प्राप्तियां

कर राजस्व	राज्य द्वारा एकत्रित तथा प्रतिधारित एवं संविधान के अनुच्छेद 280(3) के अधीन राज्य के संघीय करों का अंश समाविष्ट होते हैं।
करेतर राजस्व	ब्याज प्राप्तियां, लाभांश, लाभ इत्यादि सम्मिलित होते हैं।
सहायता अनुदान	मुख्य रूप से, संघ सरकार से राज्य सरकार को केन्द्रीय सहायता का रूप है। संघ सरकार की मध्यस्थता द्वारा विदेशी सरकारों से प्राप्त 'बाह्य अनुदान सहायता' तथा 'सहायता, सामग्री तथा उपकरण सम्मिलित' है। इसी प्रकार राज्य शासन, संस्थाओं जैसे :– पंचायती राज संस्थाएं, स्वशासी निकाय आदि को भी सहायता अनुदान देता है।

(₹ करोड़ में)

राजस्व प्राप्तियां

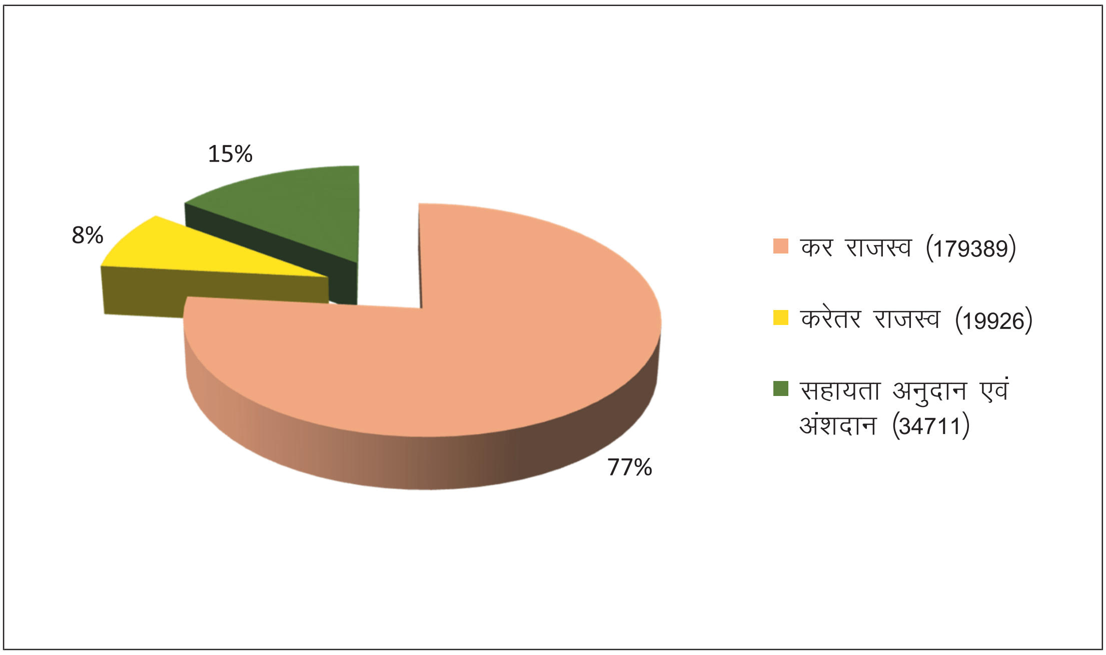

राजस्व प्राप्तियों के घटक

(₹ करोड़ में)

घटक	वास्तविक राशि
क. कर राजस्व	**1,79,389**
वस्तु एवं सेवा कर	64,700
आय और व्यय पर कर	57,711
पूंजीगत लेन–देनों तथा संपत्ति पर कर	12,340
वस्तुओं और सेवाओं पर कर	44,638
ख. करेतर राजस्व	**19,926**
ब्याज प्राप्तियां, लाभांश तथा लाभ	2,226
सामान्य सेवाएं	845
सामाजिक सेवाएं	3,054
आर्थिक सेवाएं	13,801
ग. सहायता अनुदान तथा अंशदान	**34,711**
योग – राजस्व प्राप्तियां	**2,34,026**

प्राप्तियों का रुझान

(₹ करोड़ में)

	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24
कर राजस्व	1,05,341 (12)	1,01,373 (11)	1,35,779 (12)	1,47,153 (11)	1,79,389 (13)
करेतर राजस्व	10,350 (1)	9,902 (1)	15,305 (1)	19,878 (1)	19,926 (1)
सहायता अनुदान	31,952 (3)	35,102 (4)	34,792 (3)	36,955 (3)	34,711 (3)
कुल राजस्व प्राप्तियां	1,47,643 (16)	1,46,377 (16)	1,85,876 (16)	2,03,986 (15)	2,34,026 (17)
जी.एस.डी.पी.	9,06,672	9,17,555	11,69,004	13,22,821	13,63,327

नोट :– कोष्ठक में दिये गये आंकड़े सकल राज्य घरेलू उत्पाद के *प्रतिशत* को दर्शाते हैं।

पिछले वर्ष की तुलना में 2023–24 के दौरान कर राजस्व तथा करेतर राजस्व में क्रमशः 22 प्रतिशत एवं 0.24 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई।

जी.एस.डी.पी. के अनुपात में राजस्व प्राप्तियों के अधीन घटक

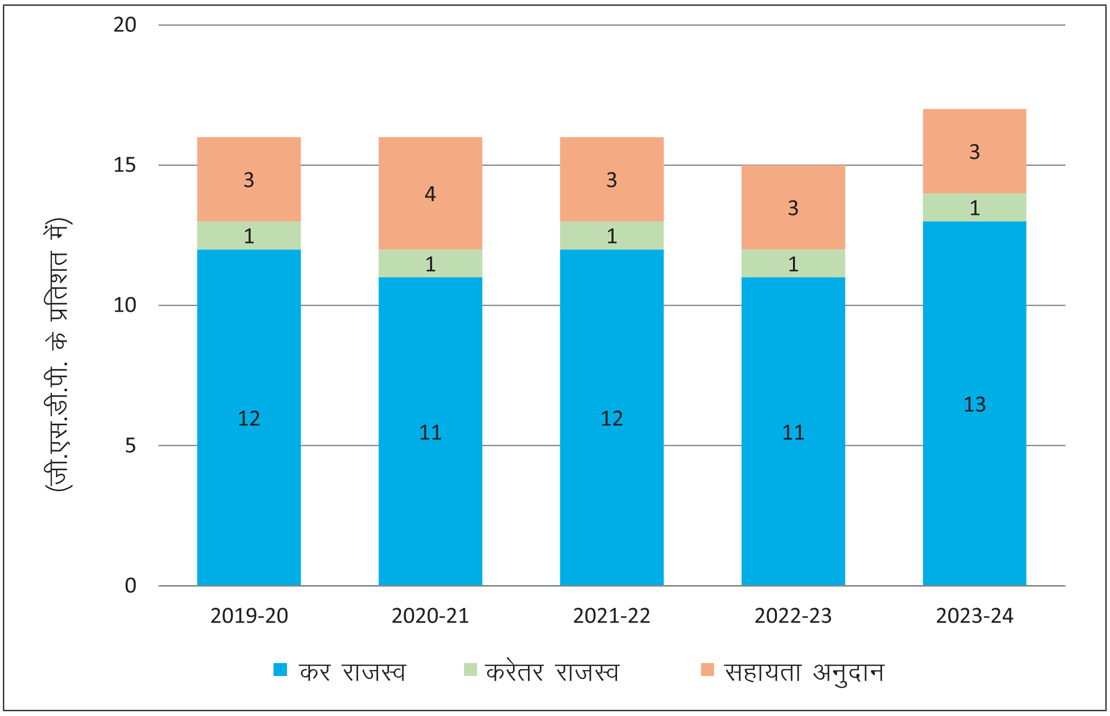

2.3 कर राजस्व :

(₹ करोड़ में)

घटक	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24
वस्तु एवं सेवा कर	34,499	31,204	41,884	44,461	64,700
आय और व्यय पर कर	30,423	28,987	41,468	49,734	57,711
संपत्ति तथा पूंजीगत संव्यवहारों पर कर	6,851	8,059	9,648	10,611	12,340
सेवाओं और वस्तुओं पर कर	33,568	33,123	42,779	42,347	44,638
कुल कर राजस्व	**1,05,341**	**1,01,373**	**1,35,779**	**1,47,153**	**1,79,389**

जी.एस.डी.पी. के अनुपात में मुख्य करों का रुझान

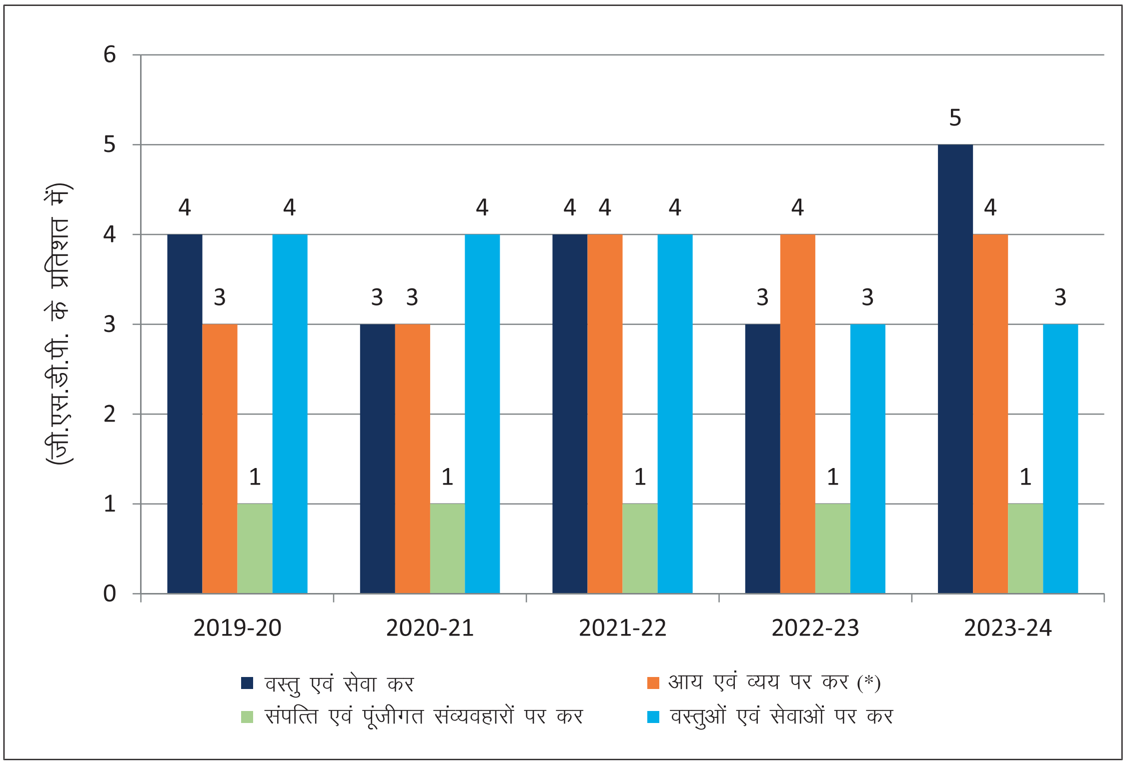

(*) मुख्य रूप से राज्य को केन्द्रांश की निवल प्राप्ति

राज्य के स्वयं के कर राजस्व संग्रहण का प्रदर्शन :

(₹ क़रोड में)

वर्ष	कर राजस्व	संघ करों में राज्य का अंश	राज्य का स्वयं का कर राजस्व	
			राशि	जी.एस.डी.पी. का प्रतिशत
2019–20	1,05,341	49,517	55,824	6
2020–21	1,01,373	46,914	54,459	6
2021–22	1,35,779	69,542	66,237	6
2022–23	1,47,153	74,543	72,610	5
2023–24	1,79,389	88,665	90,724	7

2.4 कर संग्रहण की दक्षता

क. संपत्ति तथा पूंजीगत संव्यवहारों पर कर:

(₹ करोड़ में)

	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24
राजस्व संग्रहण	6,851	8,059	9,648	10,611	12,340
संग्रहण पर व्यय	1,073	3,215	1,585	2,103	2,210
कर संग्रहण की लागत (प्रतिशत में)	16	40	16	20	18

ख. जी.एस.टी. सहित वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर:

(₹ करोड़ में)

	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24
राजस्व संग्रहण	68,068	64,327	84,663	86,808	1,09,338
संग्रहण पर व्यय	2,129	3,681	2,077	1,588	2,087
कर संग्रहण की लागत (प्रतिशत में)	3	6	2	2	2

कर राजस्व का मुख्य अंश जी.एस.टी. सहित वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर से आता है। वर्ष 2022–23 की तुलना में वर्ष 2023–24 के दौरान 'कर संग्रह की लागत' के प्रतिशत में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

2.5 विगत पांच वर्षों में संघ करों में राज्यांश की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

विवरण	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24
केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर	14,052	13,947	19,855	21,064	26,909
एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर	--	--	--	--	--
निगम कर	16,884	14,155	20,563	24,990	26,613
आय पर निगम कर से भिन्न कर	13,229	14,512	20,589	24,399	30,735
आय तथा व्यय पर अन्य कर	--	--	--	--	--
धन कर	1	--	4	--	--
सीमा शुल्क	3,139	2,495	4,950	2,930	3,107
संघ उत्पाद शुल्क	2,182	1,577	2,647	920	1,176
सेवा कर	--	203	863	117	16
वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	31	25	71	123	109
संघ करों में राज्य का अंश	49,518	46,914	69,542	74,543	88,665
कुल कर राजस्व	1,05,341	1,01,373	1,35,779	1,47,153	1,79,389
कुल कर राजस्व में संघ करों का प्रतिशत	47	46	51	51	49

2.6 सहायता अनुदान

सहायता अनुदान भारत सरकार से प्राप्त सहायता को प्रदर्शित करती है तथा इसमें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित राज्य निधि व्यय हेतु अनुदान एवं नीति आयोग द्वारा अनुमोदित केन्द्र सहायता सहित केन्द्र प्रायोजित योजनाएं/केन्द्रीय योजनाएं से संबंधित अनुदान शामिल है।

वर्ष 2023–24 के दौरान कुल प्राप्तियों में सहायता अनुदान के अंतर्गत राशि नीचे दर्शाये अनुसार ₹ 34,711 करोड़ थी :–

(₹ करोड़ में)

सहायता अनुदान

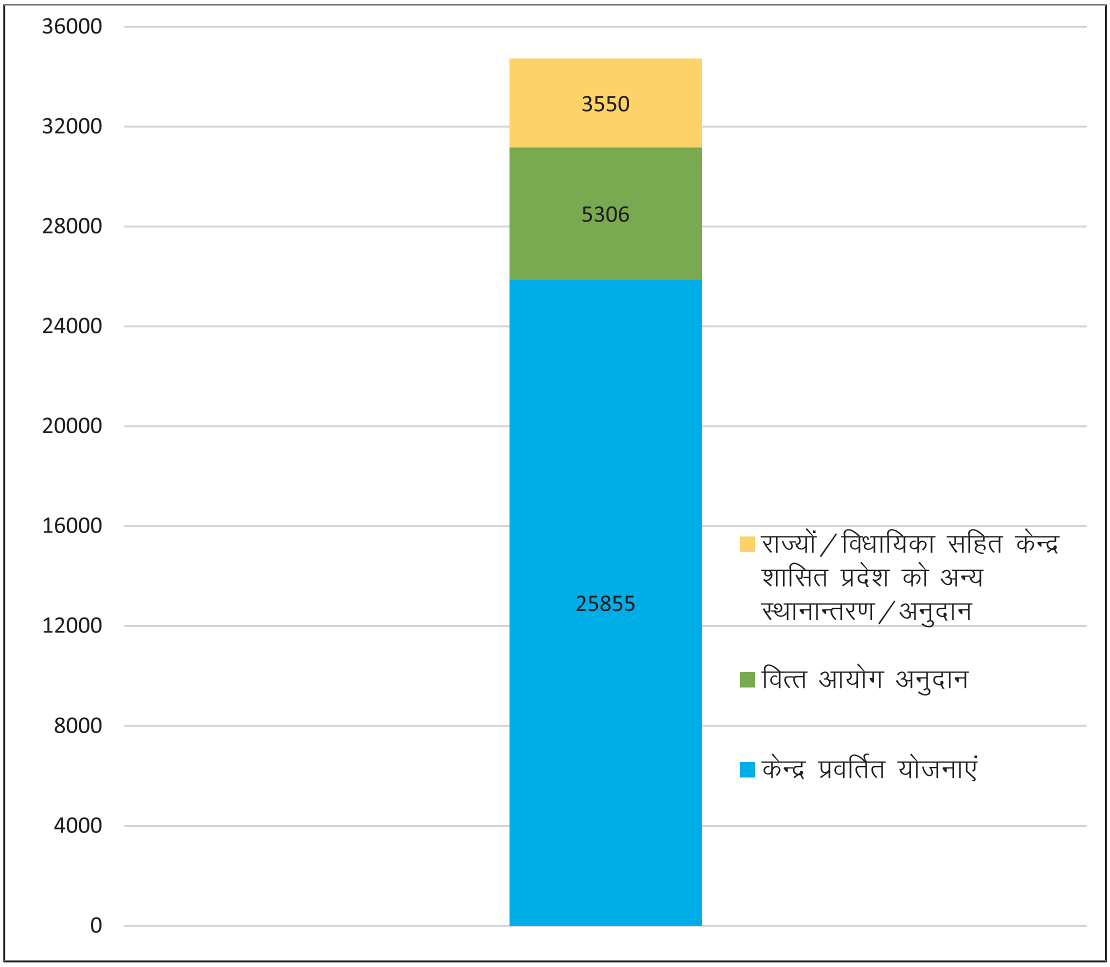

संघ अंश के पुनरीक्षित अनुमान ₹ 40,184 करोड़ के विरुद्ध राज्य सरकार को वास्तविक रूप से ₹ 34,711 करोड़ (पुनरीक्षित अनुमान का 86 *प्रतिशत*) सहायता अनुदान प्राप्त हुआ।

2.7 लोक ऋण

विगत पांच वर्षों में लोक ऋण का रुझान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24
आंतरिक ऋण	19,783	42,926	20,294	28,414	31,088
केन्द्रीय ऋण	3,647	9,487	10,829	8,447	12,456
कुल लोक ऋण	**23,430**	**52,413**	**31,123**	**36,861**	**43,544**

टीप :– निवल आंकड़े = प्राप्तियां – संवितरण।

(₹ करोड़ में)

विगत पाँच वर्षों में लोक ऋण का रुझान

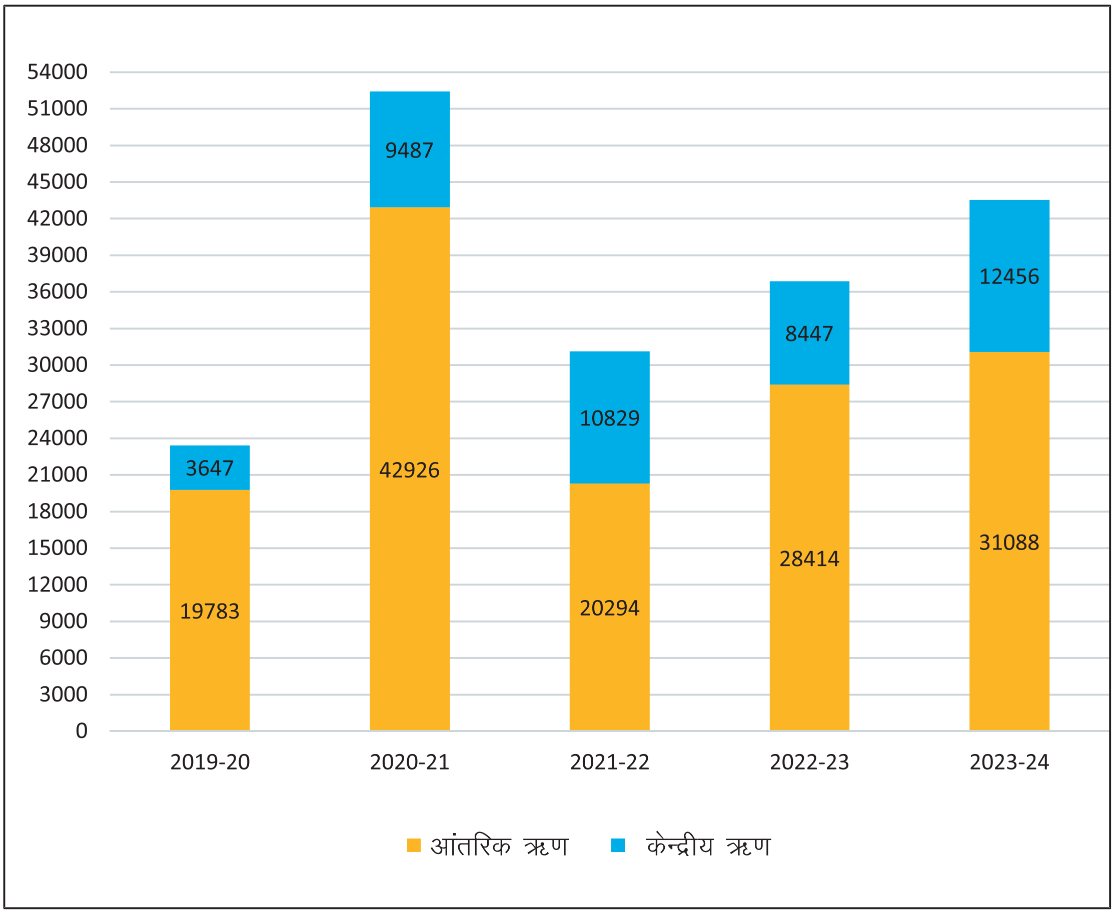

वर्ष 2023–24, में 7.36 प्रतिशत से 7.76 प्रतिशत तक की ब्याज दर पर कुल ₹ 38,500 करोड़ के तेईस बाजार ऋण लिये गये जो वर्ष 2029–30 से 2046–47 के मध्य सममूल्य पर मोचनीय है।

2.7.1 पूंजीगत व्यय पर खर्च की गई उधार निधियों का अनुपात

(₹ करोड़ में)

उधारीकृत निधियां की तुलना पूंजीगत व्यय

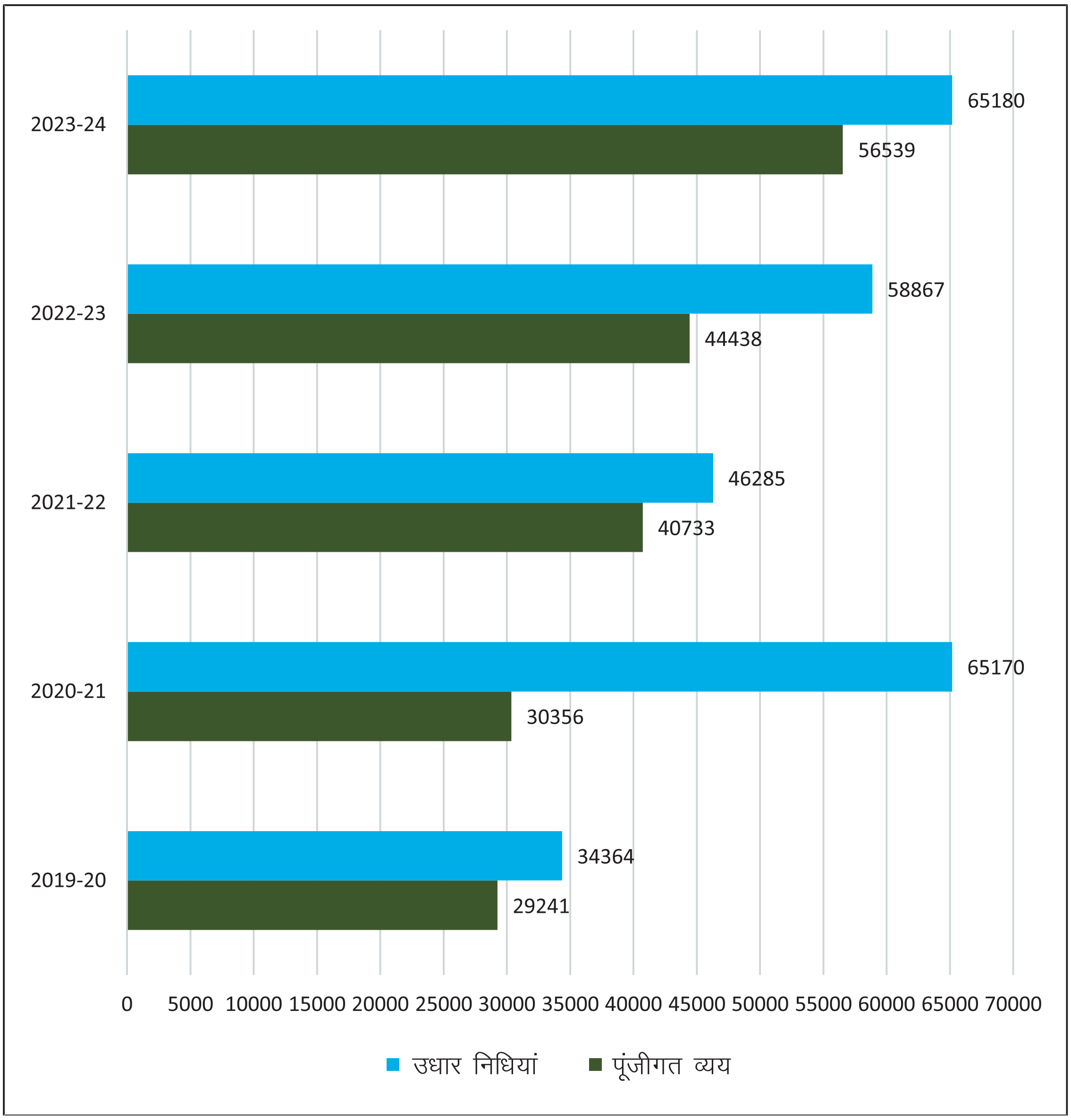

यह वांछनीय है कि पूंजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए उधार निधियों का पूर्णतः उपयोग किया जावे तथा मूल एवं ब्याज के पुनर्भुगतान के लिए राजस्व प्राप्तियों का उपयोग किया जावे। राज्य सरकार के चालू वर्ष में उधार के रूप में प्राप्त राशि (₹ 65,180 करोड़) का 87 प्रतिशत पूंजीगत व्यय (₹ 56,539 करोड़) पर खर्च किया है।

अध्याय – 3

व्यय

3.1 प्रस्तावना

व्यय को राजस्व तथा पूंजीगत व्यय में वर्गीकृत किया गया है। संगठन को चलाने के लिये दिन–प्रतिदिन होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति के लिये राजस्व व्यय का उपयोग होता है। पूंजीगत व्यय का उपयोग स्थायी संपत्ति के निर्माण या ऐसी संपत्ति की उपयोगिता को बढ़ाने में या स्थायी दायित्वों को कम करने में होता है।

सामान्य सेवाएं	इसमें न्याय, पुलिस, जेल, लोक निर्माण विभाग, पेंशन इत्यादि शामिल हैं।
सामाजिक सेवाएं	इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जल आपूर्ति, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कल्याण इत्यादि शामिल है।
आर्थिक सेवाएं	इसमें कृषि, ग्राम विकास, सिंचाई, सहकारिता, ऊर्जा, उद्योग, परिवहन इत्यादि शामिल हैं।

3.2 राजस्व व्यय

वर्ष 2023–24 का राजस्व व्यय ₹ 2,21,538 करोड़ था, जो कि पुनरीक्षित अनुमान से ₹ 9,574 करोड़ से कम था। राज्य में ₹ 12,488 करोड़ का राजस्व अधिशेष है।

विगत पांच वर्षों के दौरान राजस्व अनुभाग के अंतर्गत पुनरीक्षित अनुमान के विरुद्ध व्यय को नीचे दिया गया है :–

(₹ करोड़ में)

	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24
पुनरीक्षित अनुमान	1,51,259	1,58,545	1,77,398	2,02,468	2,31,112
वास्तविक	1,50,444	1,64,733	1,81,061	1,99,895	2,21,538
अंतर	815	(-) 6,188	(-) 3,663	2,573	9,574
पुनरीक्षित अनुमान से अंतर का *प्रतिशत*	1	(-) 4	(-) 2	1	4

उपरोक्त तालिका यह दर्शाती है कि वर्ष 2023–24 के दौरान राजस्व व्यय पुनरीक्षित अनुमान से 4 प्रतिशत कम है।

3.2.1 राजस्व व्यय का प्रक्षेत्रवार विवरण

(₹ करोड़ में)

संघटक		राशि	कुल व्यय का प्रतिशत
क.	**राजकोषीय सेवाएं**	**4,299**	2
(i)	संपत्ति तथा पूंजीगत संव्यवहारों पर करों का संग्रहण	2,210	1
(ii)	वस्तुओं तथा सेवाओं पर करों का संग्रहण	2,087	1
(iii)	अन्य राजकोषीय सेवाएं	2	0
ख.	**राज्य के अंग**	**2,676**	1
ग.	**ब्याज की अदायगी तथा ऋण शोधन**	**23,098**	10
घ.	**प्रशासनिक सेवाएं**	**10,713**	5
ङ.	**पेंशन तथा विविध सामान्य सेवाएं**	**22,043**	10
च.	**सामाजिक सेवाएं**	**93,007**	42
छ.	**आर्थिक सेवाएं**	**57,185**	26
ज.	**सहायता अनुदान तथा अंशदान**	**8,517**	4
	कुल व्यय (राजस्व लेखा)	**2,21,538**	100

3.2.2 राजस्व व्यय के प्रधान संघटक (2019–20 से 2023–24) :–

(₹ करोड़ में)

राजस्व व्यय के प्रधान संघटकों का रूझान

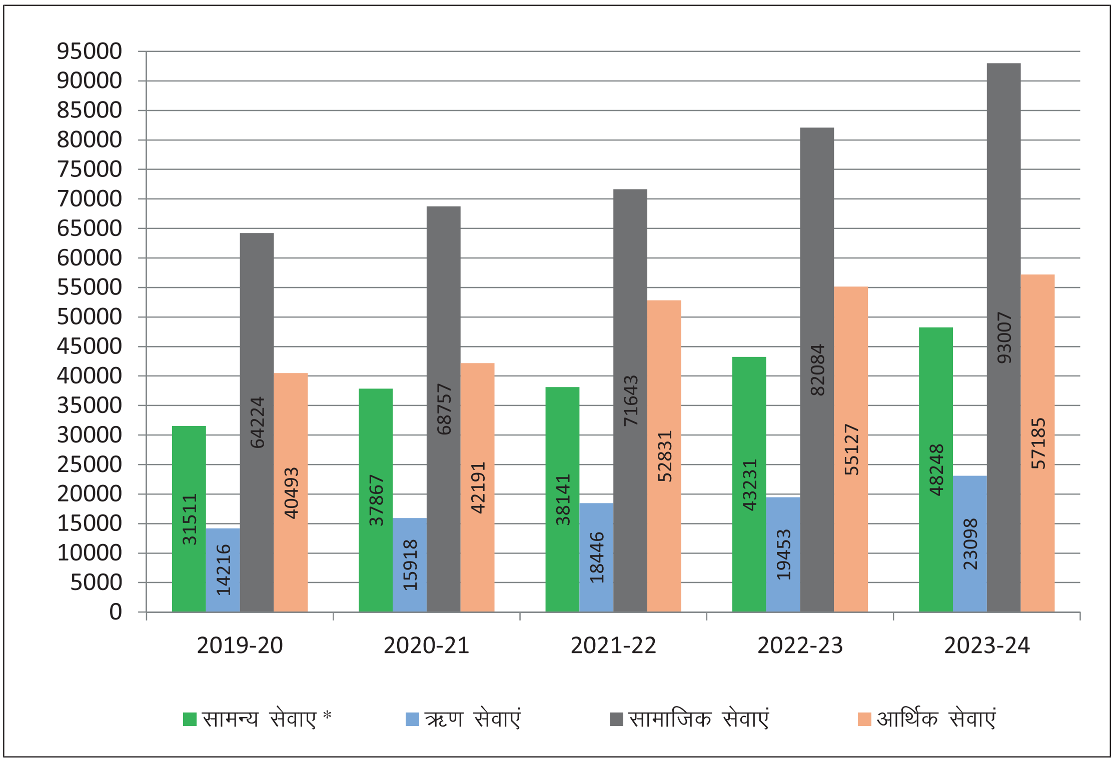

* सामान्य सेवाओं से **मुख्यशीर्ष 2049 (ब्याज अदायगी)** को अलग किया गया है तथा **मुख्यशीर्ष 3604 (स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन)** को शामिल किया गया है।

3.3 पूंजीगत व्यय

3.3.1 पूंजीगत व्यय का प्रक्षेत्रवार वितरण

वर्ष 2023–24 के दौरान, सरकार ने विभिन्न परियोजनाओं पर ₹ 12,383 करोड़ (मुख्य सिंचाई पर ₹ 12,620 करोड़, मध्यम सिंचाई पर ₹ 1,438 करोड़ तथा लघु सिंचाई पर ₹ 631 करोड़) व्यय किये। उक्त के अतिरिक्त सरकार द्वारा शीर्ष ''आवास'' के अंतर्गत ₹ 18 करोड़ भवनों के निर्माण पर तथा ₹ 3,707 करोड़ विभिन्न सांविधिक निगमों/सरकारी कंपनियों/सहकारी संस्थाओं में निवेश पर व्यय किये गये।

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	क्षेत्र	राशि	प्रतिशत
1.	**सामान्य सेवाएं** – पुलिस, लेखन सामग्री और मुद्रण, लोक निर्माण कार्य एवं अन्य प्रशासनिक सेवाएं इत्यादि	1,204	2
2.	**सामाजिक सेवाएं** – शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, जल आपूर्ति, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कल्याण इत्यादि	21,618	38
3.	**आर्थिक सेवाएं** – कृषि, ग्राम विकास, सिंचाई, सहकारिता, ऊर्जा, उद्योग, परिवहन इत्यादि	33,717	59
4.	संवितरित ऋण तथा अग्रिम	809	1
5.	अंतर्राज्यीय परिशोधन	–	–
	योग	**57,348**	**100**

3.3.2 विगत पांच वर्षों में पूंजीगत व्यय का प्रक्षेत्रवार वितरण

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	क्षेत्र	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24
1.	सामान्य सेवाएं	982	974	989	1,165	1,204
2.	सामाजिक सेवाएं	6,922	8,132	14,352	14,632	21,618
3.	आर्थिक सेवाएं	21,337	21,250	25,392	28,641	33,717
4.	ऋणों तथा अग्रिमों	987	1,230	3,229	2,360	809
5.	अंतर्राज्यीय परिशोधन	--	--	1	(–) 1	--
	योग	**30,228**	**31,586**	**43,963**	**46,797**	**57,348**

पूंजीगत व्यय के प्रक्षेत्रवार वितरण का रूझान

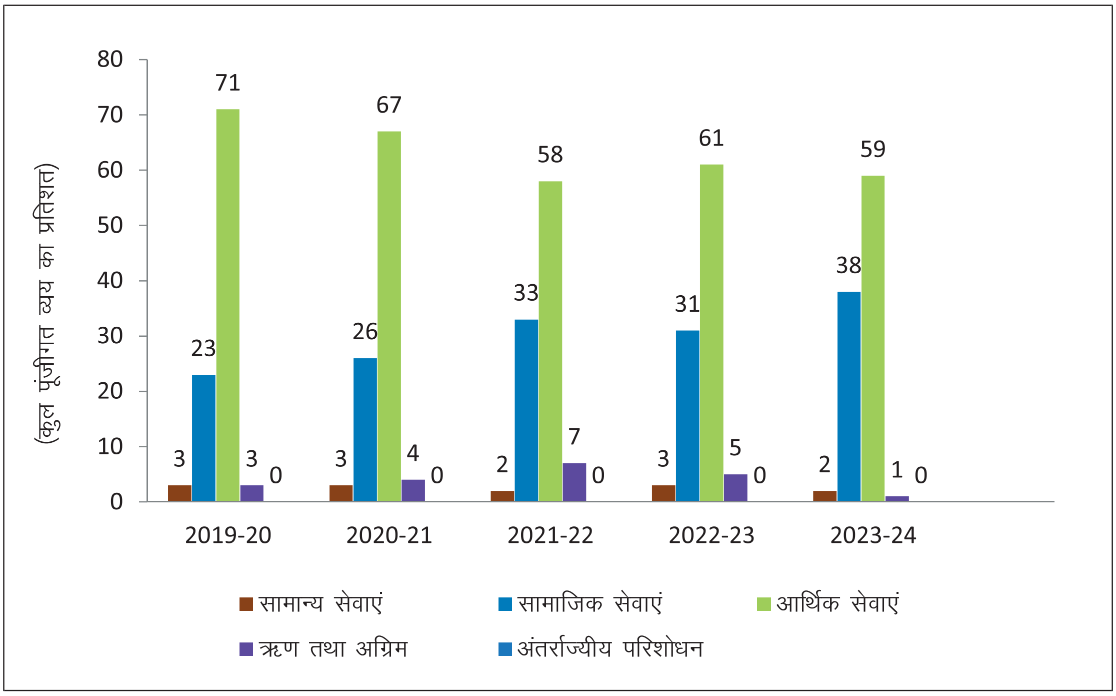

3.4 प्रतिबद्ध व्यय

(₹ करोड़ में)

प्रतिबद्ध व्यय का रूझान

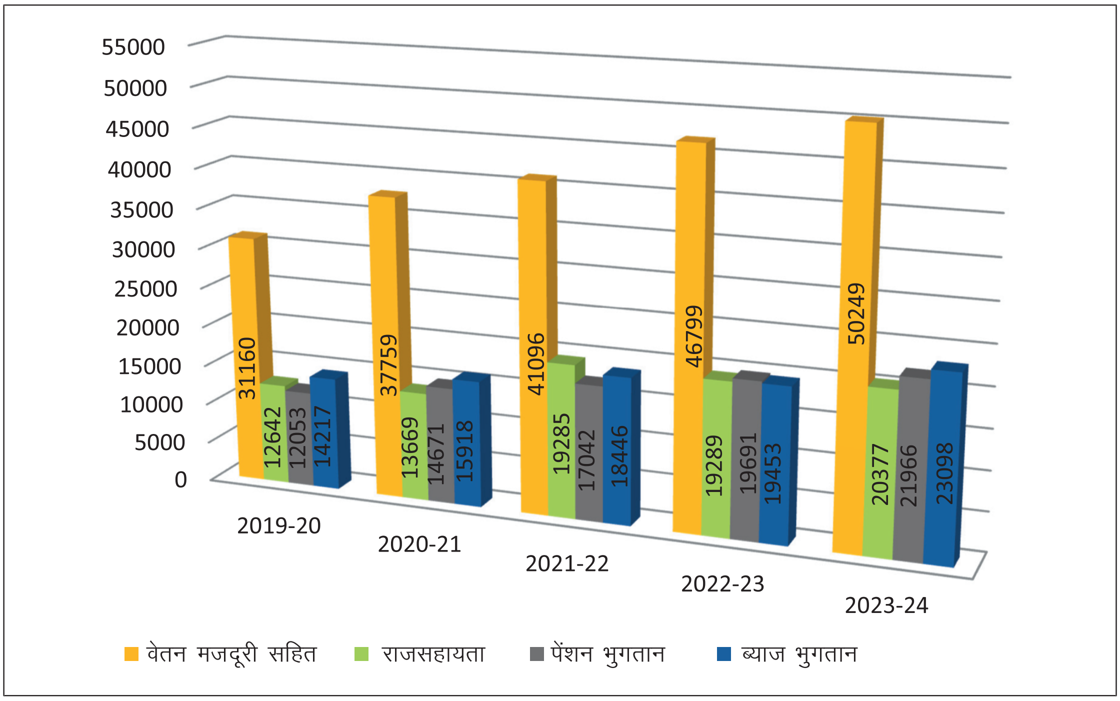

पिछले साल की तुलना में वेतन मजदूरी सहित में 7 *प्रतिशत* की वृद्धि, ब्याज भुगतान में 19 *प्रतिशत* की वृद्धि, पेंशन भुगतान में 12 *प्रतिशत* की वृद्धि एवं राज सहायता में 6 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई।

(₹ करोड़ में)

संघटक	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
प्रतिबद्ध व्यय	70,072	82,017	95,869	1,05,232	1,15,690
राजस्व व्यय	1,50,444	1,64,733	1,81,061	1,99,895	2,21,538
राजस्व प्राप्तियां	1,47,643	1,46,377	1,85,876	2,03,986	2,34,026
राजस्व व्यय का प्रतिबद्ध व्यय प्रतिशत	47	50	53	53	52
राजस्व प्राप्तियों का प्रतिबद्ध व्यय प्रतिशत	47	56	52	52	49

प्रतिबद्ध व्यय पर मुख्य संवितरण राज्य सरकार के लिये विकास खर्च पर कम लोच्यता छोड़ता है।

अध्याय – 4

विनियोग लेखे

4.1 विनियोग लेखे का सार – वर्ष 2023–24

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/विनियोग	पूरक अनुदान/विनियोग	योग	वास्तविक व्यय	बचत (–) आधिक्य (+)	समर्पण
1.	राजस्व						
	दत्तमत	2,06,010.88	26,809.99	2,32,820.87	1,98,411.96	(-) 34,408.91	21,007.46
	प्रभारित	*26,134.95*	*1,962.11*	*28,097.06*	*25,428.39*	*(-) 2,668.67*	*66.54*
2	पूंजीगत						
	दत्तमत	54,886.32	28,541.80	83,428.12	57,296.49	(-) 26,131.63	2,752.07
	प्रभारित	*241.60*	*550.00*	*791.60*	*500.73*	*(-) 290.87*	*10.13*
3	लोक ऋण						
	प्रभारित	*24,551.00*	--	*24,551.00*	*21,635.73*	*(-) 2,915.27*	*5.15*
4	ऋण एवं अग्रिम						
	दत्तमत	2,198.09	120.00	2,318.09	809.51	(-) 1,508.58	49.45
5	अंतर्राज्यीय परिशोधन						
	दत्तमत	--	--	--	(-) 0.23	(-) 0.23	--
	प्रभारित	*2.00*	--	*2.00*	--	*(-) 2.00*	--
6	आकस्मिक निधि को अन्तरण						
	दत्तमत	--	--	--	--	--	--
	योग	3,14,024.84	57,983.90	3,72,008.74	3,04,082.58	(-) 67,926.16	23,890.80

4.2 विगत पांच वर्षों में बचत/आधिक्य की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बचत (–)/आधिक्य (+)					योग
	राजस्व	पूंजीगत	लोक ऋण	ऋण एवं अग्रिम	अंतर्राज्यीय परिशोधन	
2019-20	(-) 47,573.37	(-) 9,693.32	(-) 3,869.72	(-) 994.60	(-) 0.62	(-) 62,131.63
2020-21	(-) 14,714.08	(-) 4,155.54	(-) 3,588.83	(-) 484.71	(-) 0.25	(-) 22,943.41
2021-22	(-) 23,002.19	(-) 12,285.71	(-) 2,631.95	(-) 1,867.61	(-) 1.20	(-) 39,786.26
2022-23	(-) 35,563.11	(-) 11,438.28	(-) 2,107.85	(-) 1,433.58	(-) 0.95	(-) 50,541.87
2023-24	(-) 37,077.58	(-) 26,422.50	(-) 2,915.27	(-) 1,508.58	(-) 2.23	(-) 67,926.16

4.3 महत्वपूर्ण बचतें

एक अनुदान के अन्तर्गत विशिष्ट बचतें कुछ योजना/कार्यक्रमों के अकार्यान्वयन या धीमे कार्यान्वयन को दर्शाता है।

कुछ अनुदानों के अंतर्गत लगातार हुई महत्वपूर्ण एवं विशिष्ट बचतें निम्नानुसार हैं:–

(बचत *प्रतिशत* में)

अनुदान	नामावली	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24
राजस्व दत्तमत अनुभाग						
01	सामान्य प्रशासन	34.03	36.75	37.85	26.30	21.29
07	वाणिज्यिक कर	38.67	11.73	18.48	11.31	08.06
16	मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास	19.92	11.83	20.15	52.39	46.13
21	लोक सेवा प्रबंधन	30.97	22.25	14.10	14.20	13.43
24	लोक निर्माण कार्य	17.35	16.15	15.88	22.44	14.04
28	राज्य विधान मंडल	15.94	17.82	21.99	11.03	16.45
29	विधि और विधायी कार्य	25.18	25.71	26.29	23.42	17.76
31	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	27.43	24.44	18.29	9.38	10.88
पूंजीगत दत्तमत अनुभाग						
01	सामान्य प्रशासन	55.28	13.05	33.76	25.95	55.64
06	वित्त	89.76	65.73	55.57	96.51	83.49
14	पशुपालन एवं डेयरी	76.31	20.14	34.94	20.81	69.04
21	लोक सेवा प्रबंधन	78.37	54.69	97.64	100.00	100.00
29	विधि और विधायी कार्य	12.65	32.17	40.30	7.54	07.98
36	परिवहन	52.63	20.99	93.61	60.66	72.18
42	भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वास	98.45	29.07	54.64	58.83	81.15

2023–24 के दौरान, कुछ प्रकरणों में पूरक अनुदान/विनियोग राशि ₹ 57,983.90 करोड़ (कुल व्यय ₹ 3,04,082.58 करोड़ का 19.07 *प्रतिशत*) अनावश्यक सिद्ध हुआ, जहाँ पर मूल आवंटन के विरुद्ध वर्ष के अन्त में महत्वपूर्ण बचतें हुईं। कुछ उदाहरण नीचे दिये गये हैं :–

(₹ करोड़ में)

अनुदान	नामावली	अनुभाग	मूल	पूरक	वास्तविक व्यय
1	सामान्य प्रशासन	राजस्व दत्तमत	871.02	27.21	706.92
3	पुलिस	पूंजीगत दत्तमत	674.70	24.00	611.76
6	वित्त	राजस्व दत्तमत	24,857.17	2.00	22,221.86
7	वाणिज्यिक कर	पूंजीगत दत्तमत	16.00	19.00	5.03
10	वन	राजस्व दत्तमत	2,386.51	35.41	1,956.80
12	ऊर्जा	पूंजीगत दत्तमत	8,348.44	13,365.00	1,230.98
14	पशुपालन एवं डेयरी	राजस्व दत्तमत	1,478.17	86.16	1,116.60
19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राजस्व दत्तमत	10,918.26	1,343.56	10,803.68
20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	राजस्व दत्तमत	1,035.54	40.00	873.74
23	जल संसाधन	राजस्व दत्तमत	1,531.92	50.00	1,209.84
27	स्कूल शिक्षा	राजस्व दत्तमत	28,603.07	350.00	26,859.84
30	ग्रामीण विकास	राजस्व दत्तमत	14,943.24	592.00	9,535.09
33	जनजातीय कार्य	पूंजीगत दत्तमत	1,713.85	36.49	1,476.23
38	आयुष	राजस्व दत्तमत	721.94	5.00	624.42
43	खेल और युवा कल्याण	राजस्व दत्तमत	196.92	20.00	182.39
46	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	राजस्व दत्तमत	180.52	6.00	159.69
49	अनुसूचित जाति कल्याण	पूंजीगत दत्तमत	228.00	8.00	122.77
50	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	राजस्व दत्तमत	484.43	7.69	313.30
54	पिछड़ा वर्ग कल्याण	राजस्व दत्तमत	1,284.08	250.00	1,187.87
55	महिला एवं बाल विकास	पूंजीगत दत्तमत	178.67	193.13	139.36
	योग		**1,00,652.45**	**16,460.65**	**81,338.17**

अध्याय – 5

परिसम्पत्तियां एवं दायित्व

5.1 परिसम्पत्तियाँ

लेखाओं का विद्यमान स्वरूप शासकीय परिसम्पत्ति जैसे भूमि, भवन आदि का जिस वर्ष में क्रय/अर्जन किया गया है, को छोड़कर, सही मूल्यांकन प्रदर्शित नहीं करता। साथ ही लेखाओं का यह स्वरूप वर्तमान वर्ष में उत्पन्न देयताओं के प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं, ये कुछ सीमा तक, ब्याज की दर एवं विद्यमान ऋणों की अवधि को छोड़कर भावी पीढ़ी पर समग्र प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करते हैं।

2023–24 के अंत तक, सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, संयुक्त पूंजी कंपनियों और साझेदारियों, बैंकों एवं सहकारिताओं एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अंश पूंजी के रूप में कुल निवेश ₹ 47,486 करोड़ रहा। यद्यपि, वर्ष के दौरान निवेश पर ₹ 291 करोड़ (0.61 *प्रतिशत*) लाभांश प्राप्त हुआ। 2023–24 के दौरान, निवेश में ₹ 4,102 करोड़ की वृद्धि एवं लाभांश में ₹ 131 करोड़ की वृद्धि हुई।

31 मार्च 2023 को रिजर्व बैंक के पास ₹ 18,180 करोड़ सामान्य रोकड़ शेष था जो 31 मार्च 2024 के अंत में घटकर ₹ 17,563 करोड़ हो गया। वर्ष के दौरान राज्य सरकार का सामान्य रोकड़ शेष ₹ 617 करोड़ से कम हो गया।

5.2 ऋण तथा दायित्व

भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 में राज्य की समेकित निधि की प्रतिभूति पर उस सीमा में, यदि कोई, जैसा कि समय–समय पर राज्य विधान मण्डल द्वारा निर्धारित की गई हों, राज्य सरकार को उधार लेने की शक्ति प्रदत्त की गई है।

राज्य सरकार की कुल दायित्वों और लोक ऋण का विवरण निम्नानुसार है :–

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लोक ऋण	जी.एस.डी.पी. का प्रतिशत	लोक लेखे(*)	जी.एस.डी. पी. का प्रतिशत	कुल दायित्वं(*)	जी.एस.डी. पी. का प्रतिशत
2019-20	1,80,829	20	49,743	5	2,30,572	25
2020-21	2,33,242	25	56,056	6	2,89,298	32
2021-22	2,64,364	23	58,854	5	3,23,218	28
2022-23	3,01,225	23	62,727	5	3,63,952	28
2023-24	3,44,770	25	64,118	5	4,08,888	30

* उचन्त एवं प्रेषण शेष छोड़कर

टीप :– वर्ष के अन्त तक आंकड़ों का प्रगामी शेष है।

2022–23 की तुलना में 2023–24 में लोक ऋण एवं अन्य दायित्वों में ₹ 44,936 करोड़ (12 *प्रतिशत*) की निवल वृद्धि हुई है।

शासकीय दायित्वों का रूझान

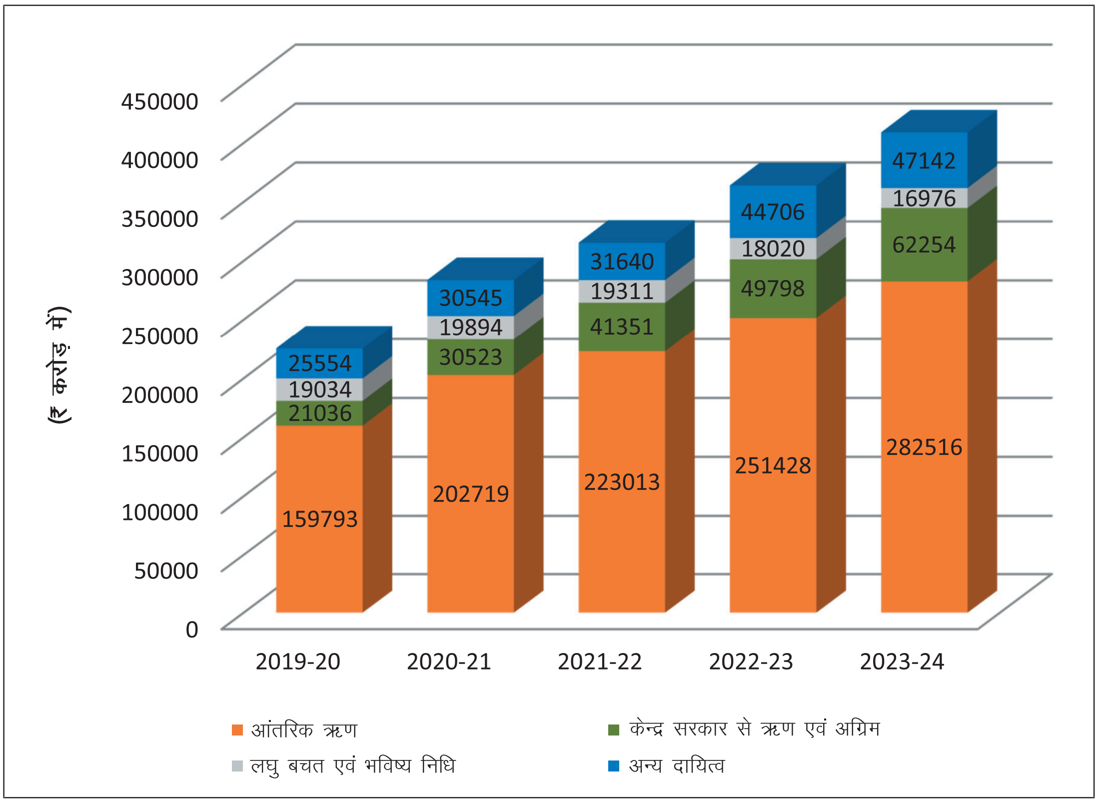

5.3 प्रत्याभूतियाँ

भारत सरकार द्वारा अधिसूचित भारत सरकार के लेखांकन मानक–1 (आई.जी.ए.एस.1) की आवश्यकता के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली प्रत्याभूतियाँ वित्त लेखे में दर्शाई गयी है। सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, निगमों, सहकारी संस्थाओं आदि के द्वारा लिये गये पूंजी, ऋण तथा उन पर ब्याज भुगतान के लिये राज्य सरकार द्वारा पुनर्भुगतान के लिए दी गई प्रत्याभूतियों की स्थिति निम्नानुसार है :–

(₹ करोड़ में)

वर्ष के अंत में	अधिकतम प्रत्याभूतित राशि (केवल मूलधन)	31 मार्च को बकाया मूलधन एवं ब्याज
2019-20	43,017	30,930
2020-21	54,464	37,010
2021-22	60,634	35,006
2022-23	67,624	39,788
2023-24	69,417	45,551

टीप :– विवरण संख्या 9 में विस्तृत विवरण दिया गया है जो कि राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी पर आधारित है और जहाँ उपलब्धता थी वहाँ संबंधित संस्थानों से प्राप्त की गई है।

राज्य सरकार ने अधिसूचना दिनांक 27.01.2006 के द्वारा वर्ष 2006 में प्रत्याभूति विमोचन निधि का गठन किया है, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रबंधित किया जाएगा। योजनानुसार, राज्य सरकार द्वारा पिछले वर्ष हेतु प्रत्याभूति शुल्क के रूप में एकत्र की हुई राशि के साथ प्रत्याभूति शुल्क के बराबर की राशि का अंतरण इस निधि में किया जाएगा। इसके अलावा राज्य सरकार समय–समय पर कोई भी राशि इस निधि में अंतरित कर सकती है।

31 मार्च 2024 तक निधि का कुल संचय ₹ 1,088 करोड़ था। ₹ 966 करोड़ की राशि आर.बी.आई. द्वारा निवेश की गई है। विवरण नीचे दिया गया है :

(₹ करोड़ में)

01 अप्रैल 2023 को प्रारंभिक शेष	निधि में संयोजन (योगदान व ब्याज)		निधि में से भुगतान	निधि में कुल शेष	आर.बी.आई. द्वारा निवेश की गई राशि	31 मार्च 2024 को अंत शेष
	अपेक्षित योगदान	वर्ष 2023–24 के दौरान वास्तविक आंकड़े				
1,051	73	37	निरंक	1,088	966	122

अध्याय – 6

अन्य मदें

6.1 राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम

भारत सरकार द्वारा अधिसूचित भारत सरकार के लेखांकन मानक तीन (आई.जी.ए.एस.3) की आवश्यकताओं के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले ऋणों एवं अग्रिमों को वित्त लेखों में दर्शाया गया है। बकाया ब्याज भुगतान, संस्थाओं द्वारा बकाया ऋण की वापसी, वर्ष के दौरान दिए गए नए ऋण एवं अग्रिम से संबंधित जानकारी और ऋण और अग्रिम से संबंधित असाधारण लेन–देन की जानकारी राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गयी थी। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2023–24 के अंत तक कुल ₹ 48,263 करोड़ के ऋण एवं अग्रिम दिए गए। इसमें से राशि ₹ 48,244 करोड़ के ऋण एवं अग्रिम, शासकीय निगमों/कम्पनियों, अशासकीय संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों को दिए गए। वर्ष के दौरान राज्य सरकार ने राशि ₹ 809 करोड़ के ऋण और अग्रिम वितरित किए तथा राशि ₹ 372 करोड़ के लंबित ऋण वसूल किए। वर्ष के दौरान ₹ 1,509 करोड़ ब्याज के रूप में प्राप्त हुए।

6.2 स्थानीय निकायों एवं अन्य को वित्तीय सहायता

भारत सरकार द्वारा अधिसूचित भारत सरकार के लेखांकन मानक–2 (आई.जी.ए.एस.2) की आवश्यकताओं के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता अनुदान को वित्त लेखों में दर्शाया गया है। विगत पांच वर्षों के दौरान स्थानीय निकायों आदि को सहायता अनुदान वर्ष 2019–20 में ₹ 65,258 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2023–24 में ₹ 81,993 करोड़ हुआ। वर्ष के दौरान शहरी स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं को दिया गया अनुदान (₹ 24,910 करोड़) पूरे वर्ष में दिये गये कुल अनुदान का 30 *प्रतिशत* है।

विगत पांच वर्षों के सहायता अनुदान का विवरण निम्नानुसार है :–

(₹ करोड़ में)

वर्ष	शहरी स्थानीय निकाय	पंचायती राज संस्थान	अन्य	योग
2019-20	6,204	18,829	40,225	65,258
2020-21	6,874	19,103	38,294	64,271
2021-22	7,001	16,889	42,708	66,598
2022-23	6,990	20,441	45,076	72,507
2023-24	7,707	17,203	57,083	81,993

6.3 रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष का निवेश

(₹ करोड़ में)

संघटक	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2024 को	निवल वृद्धि (+)/कमी (–)
रोकड़ शेष	(-) 4,970	(-) 508	4,462
रोकड़ शेष से निवेश (भारत सरकार के कोषालय देयक एवं प्रतिभूतियाँ)	23,150	18,071	(-) 5,079
उद्विष्ट निधियों के शेषों से निवेश	974	974	--
(क) निक्षेप निधि	--	--	--
(ख) प्रतिभूति मोचन निधि	966	966	--
(ग) अन्य निधियां	8	8	--
ब्याज की वसूली	166	168	2

6.4 लेखों का पुनर्मिलान

सभी नियंत्रण अधिकारियों को सरकार की प्राप्तियों एवं व्यय का मिलान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा दर्ज आंकड़ों से करना चाहिये। सभी कोषागारों को संबोधित आयुक्त (कोषागार एवं लेखा) के पत्र क्र 861/2022/डी.टी.ए./भोपाल दिनांक 08.06.2022 द्वारा मध्य प्रदेश में, बजट नियंत्रक अधिकारियों के बजाय निदेशालय कोष एवं लेखा, लेखा एवं हकदारी कार्यालय से आंकड़ों का पुनर्मिलान कर रहा है।

वर्ष 2023–24 के दौरान ₹ 2,29,645.69 करोड़ की राजस्व प्राप्तियां (कुल राजस्व प्राप्ति ₹ 2,34,026.04 करोड़ का 98.12 *प्रतिशत*), ₹ 2,09,052.86 करोड़ का राजस्व व्यय (कुल राजस्व व्यय ₹ 2,21,538.26 करोड़ का 94.36 *प्रतिशत*) तथा ₹ 54,704.30 करोड़ का पूंजीगत व्यय (कुल पूंजीगत व्यय ₹ 56,538.59 करोड़ का 96.76 *प्रतिशत*) का राज्य सरकार द्वारा पुनर्मिलान किया गया। राज्य सरकाार द्वारा प्रदाय ₹ 702.73 करोड़ ऋण एवं अग्रिम (कुल ऋण एवं अग्रिम ₹ 809.51 करोड़ का 86.81 *प्रतिशत*) का पुनर्मिलान किया गया।

इसकी तुलना में वर्ष 2022–23 के दौरान ₹ 1,76,798.27 करोड़ की राजस्व प्राप्ति (कुल राजस्व प्राप्ति का 86.67 *प्रतिशत*), ₹ 1,99,201.80 करोड़ का राजस्व व्यय (कुल राजस्व व्यय का 99.65 *प्रतिशत*), ₹ 32,848.44 करोड़ का पूंजीगत व्यय (कुल पूंजीगत व्यय का 73.91 *प्रतिशत*) तथा राज्य सरकार द्वारा प्रदाय ऋण एवं अग्रिम ₹ 2,351.71 करोड़ (कुल ऋण एवं अग्रिम का 99.64 *प्रतिशत*) का पुनर्मिलान किया गया था।

6.5 राज्य सरकार द्वारा दी गई सहायता अनुदान के विरुद्ध बकाया उपयोगिता प्रमाण–पत्र (यू.सी.)

मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता के नियम 182 के अनुसार, अनुदानग्राही को प्राप्त सहायता अनुदान के संबंध में उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर तक या इससे पहले विभागीय अधिकारियों द्वारा महालेखाकार को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उपयोगिता प्रमाण–पत्र न जमा करने की स्थिति में वित लेखे में दर्शायी गई राशि लाभार्थियों तक नहीं पहुंचने का जोखिम बना रहता है।

31 मार्च 2023 तक ₹ 18,871.57 करोड़ की राशि के 19,937 जी.आई.ए. बिल उपयोगिता प्रमाण–पत्र के लिये बकाया थे। वर्ष 2023–24 के दौरान ₹ 1,813.79 करोड़ की राशि के 28 जी.आई.ए. बिल उपयोगिता प्रमाण–पत्र हेतु देय हुए। 31 मार्च 2024 तक ₹ 20,685.36 करोड़ के 19,965 उपयोगिता प्रमाण–पत्र बकाया हैं। इनमें से, ₹ 394.68 करोड़ के 101 बकाया उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त हो चुके हैं। वर्ष 2023–24 के दौरान, ₹ 1,825.44 करोड़ की राशि के 39 सशर्त अनुदान जारी किये गए जो वर्ष 2024–25 में देय हो जाएंगे। इनमें से, ₹ 66.56 करोड़ की राशि के 06 उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त हुए।

31 मार्च 2024 तक बकाया उपयोगिता प्रमाण–पत्रों की स्थिति नीचे दी गई है:

(₹ करोड़ में)

देय वर्ष	बकाया यू.सी. की संख्या	राशि
2022–23 तक	19,842	18,484.90
2023–24	22	1,805.60
योग	**19,864**	**20,290.50**
वर्ष	नियत तिथि से पूर्व जमा यू.सी.	राशि
2024–25	6	66.56

6.6 उचंत शेषों का संचय :

उचंत शीर्ष के अंतर्गत बकाया शेषों की गैर समायोजन, प्राप्ति/व्यय के लेखों के विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत वर्ष दर वर्ष आगे बढ़ाये जाने वाले आंकड़ों एवं शेषों की शुद्धता को प्रभावित करती है। उंचत मदों का समायोजन राज्य कोषालयों, निर्माण, वन एवं ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवा संभाग, लेखा एवं भुगतान कार्यालयों इत्यादि द्वारा प्रेषित जानकारी पर निर्भर करती है।

महत्वपूर्ण बकाया उचंत शेषों का विवरण नीचे दिया गया है :–

(₹ करोड़ में)

लेखे का शीर्ष		01 अप्रैल 2023 की स्थिति में पूर्व शेष		प्राप्ति	संवि–तरण	31 मार्च 2024 की स्थिति में अंत शेष	
8658	**उचंत लेखा**						
101	वेतन एवं लेखा कार्यालय उचंत	नामे	732	108	(-) 494	नामे	130
107	नकद परिशोधन उचंत लेखा	नामे	114	0	0	नामे	114
109	रिजर्व बैंक उचन्त मुख्यालय	जमा	197	0	300	जमा	(-) 103
110	रिजर्व बैंक उचंत–केन्द्रीय लेखा कार्यालय	नामे	450	0	(-) 148	नामे	302
112	स्रोत पर कर कटौती (टी.डी.एस.) उचंत	जमा	924	(-) 226	0	जमा	698
113	भविष्य निधि उचंत	नामे	9	0	2	नामे	11
123	अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों का समूह बीमा योजना	जमा	11	1	1	जमा	11
129	सामग्री क्रय परिशोधन उचंत लेखे	जमा	187	0	0	जमा	187
139	जी.एस.टी.– स्रोत पर कर कटौती उचंत	जमा	429	561	841	जमा	149

© भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

https://cag.gov.in/ae/gwalior-i/hi